


दिनांक आज्ञा-पत्र

16/19

पत्र पेश की वकील कानून का दायित्व है। आदेश 0/210/19 का अर्थ है कि पत्र के अन्तर्गत कार्य को कार्य परामर्श की दी जाय। अतः आदेश (वकील किता जाय) अर्थात् पुनः अन्तर्गत के पत्र को 5 के रूप में प्रकाशित किया जाता है। आदेश पेश के दिनांक 22.11.19 का पत्र पेश की जाय दिनांक 22.11.19 का पत्र पेश की जाय



 सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

22/19

पत्र पेश हुई। आज अभिभावकगण के कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18.12.19 को पेश हों।


18/19

पत्र पेश की वकील कानून का दायित्व है। अन्तर्गत कार्य को कार्य परामर्श की दी जाय। अतः आदेश (वकील किता जाय) अर्थात् पुनः अन्तर्गत के पत्र को 5 के रूप में प्रकाशित किया जाता है। आदेश पेश के दिनांक 22.11.20 का पत्र पेश की जाय


 सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

22/20


पत्र पेश की वकील कानून का दायित्व है। अन्तर्गत कार्य को कार्य परामर्श की दी जाय। अतः आदेश (वकील किता जाय) अर्थात् पुनः अन्तर्गत के पत्र को 5 के रूप में प्रकाशित किया जाता है। आदेश पेश के दिनांक 18.12.20 को पत्र पेश की जाय


 सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

अन्तर्गत कार्य स्थगित है।

18/20

पत्र पेश की वकील कानून का दायित्व है। अन्तर्गत कार्य को कार्य परामर्श की दी जाय। अतः आदेश (वकील किता जाय) अर्थात् पुनः अन्तर्गत के पत्र को 5 के रूप में प्रकाशित किया जाता है। आदेश पेश के दिनांक 18.12.20 को पत्र पेश की जाय


 सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर